

पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आरक्षण की भूमिका

अनिल कुमार*

सार-संक्षेप—महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिये प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मानदंड होती है। उनकी शैक्षिक दशा, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति को जानने के संकेतक हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसंबर, 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितंबर, 1981 से प्रभावी हुआ। महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यह सत्य है कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में बुनियादी बदलाव आया है। महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। महिला अधिकार राजनीतिक कार्यसूची में सर्वोच्च में सर्वोच्च स्थान पर हैं लेकिन खेद का विषय यह है कि महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में आज भी वह स्थान नहीं पा रही है जिसकी वह अधिकारिणी है। यह सत्य है कि यदि विभिन्न प्रशासनिक और संवैधानिक उपायों एवं योजनाओं को लागू करने के लिये कारगर प्रयास नहीं किए गए तो यह अधिकार सिर्फ कागजों में ही सीमित होकर रह जायंगे। महिला सशक्तिकरण के तीन स्तंभों—शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को समान रूप से महत्व देना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयासों से ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।

परिचय—महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जा सकता है—(क) स्त्री-पुरुष के मध्य समानता। (ख) स्वयं की

क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार। (ग) स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।

महिला सशक्तिकरण को लेकर संपूर्ण विश्व की जागरूकता एवं प्रयासों के बावजूद महिलाओं की स्थिति दोगम दर्जे की बनी हुई है। प्रौढ़ निरक्षरों में दो-तिहाई तथा विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिये प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मानदंड होती है। उनकी शैक्षिक दशा, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति को जानने के संकेतक हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसंबर, 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितंबर, 1981 से प्रभावी हुआ।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं को अपने-आप को संगठित करने की क्षमता विकसित एवं सुदृढ़ होती है। स्वतंत्रता के पश्चात महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वह थी संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में महिलाओं के लिये पंचायत और शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व में एक तिहाई स्थान का आरक्षण। साथ ही इन संस्थाओं में प्रधान और अध्यक्ष पद हेतु भी एक तिहाई पदों का आरक्षण, ताकि उन्हें केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो।

लेकिन महिला सशक्तिकरण को जब तक हम सिर्फ वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों से जोड़ कर देखते रहेंगे तब तक महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ता मिलना मुश्किल है। वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ जब तक महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक महिला अधिकारिता का प्रश्न अधूरा रहेगा। शिक्षा का सीधा संबंध विकास से है, विशेषतः महिलाओं का विकास तब तक संभव नहीं जब तक वह शिक्षित न हो। क्योंकि महिला साक्षरता का सकारात्मक संबंध बाल विकास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, निम्न जन्मदर एवं निम्न मृत्युदर से है।

राजनीतिक संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के स्तर का ज्ञान इस आधार पर हो सकता है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें सहभागिता के मामले में उन्हें कितनी स्वतंत्रता व समानता प्राप्त है तथा उनके योगदान को कितना महत्व दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति-संरचना व निर्णय प्रक्रिया से जुड़े कार्यकलापों में सशक्त व सुनिश्चित भागिदारी ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर सकती है। आज संपूर्ण विश्व की महिलाएँ, समाज में शक्ति के असमान व

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा,

एकपक्षीय वितरण को चुनौती देने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है। असमानता पर आधारित लैंगिक सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि वर्तमान वैश्विक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में सत्ता व शक्ति के मुख्य केन्द्र बिन्दुओं यथा-राज्य, बाजार व नागरिक समाज का नेतृत्व करने के लिए महिलाएँ आगे आयें। स्वयं को प्रभावित कर सकने वाली योजनाओं व नीतियों को अपने अनुरूप निर्मित करवाने के लिए महिलाओं को सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी कि वे स्वयं के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

वास्तविकता तो यह है कि राजनीतिक परिदृश्य में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जा सकती। निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागिदारी के अभाव में प्रायः ही उन्हें संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा तथा अनेकों अन्य वंचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में महिला सहभागिता के मुद्दे को अधिक सशक्त ढंग से उठाया जाए। यद्यपि पिछले कई दशकों से चले आ रहे महिला आन्दोलनों की प्रभावशाली उपलब्धिया रहीं हैं, परन्तु इसके पश्चात भी राजनीतिक शक्ति संरचना में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। आज भी पूरे विश्व में औसतन 12-13 प्रतिशत महिलाएँ ही विधायी संस्थाओं हेतु निर्वाचित हो रही हैं। भारत में भी कमोवेश यही स्थिति है।

महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यह सत्य है कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में बुनियादी बदलाव आया है। महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। महिला अधिकार राजनीतिक कार्यसूची में सर्वोच्च में सर्वोच्च स्थान पर हैं लेकिन खेद का विषय यह है कि महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में आज भी वह स्थान नहीं पा रही है जिसकी वह अधिकारिणी है। यह सत्य है कि यदि विभिन्न प्रशासनिक और संवैधानिक उपायों एवं योजनाओं को लागू करने के लिये कारगर प्रयास नहीं किए गए तो यह अधिकार सिर्फ कागजों में ही सीमित होकर रह जायेंगे। महिला सशक्तिकरण के तीन स्तंभों-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को समान रूप से महत्त्व देना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयासों से ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।

राजनीतिक जीवन में महिलाओं की धीमी परन्तु क्रमशः बढ़ती सहभागिता के बावजूद, राजनीतिक प्रक्रिया पर आज भी उनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं है। महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रदत्त संवैधानिक समानता को एक सशक्त साधन के रूप में

उपयोग किया जाय। महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'संख्या की दृष्टि से महिलाएँ अल्पसंख्यक नहीं मानी जा सकती, परन्तु स्थिति व राजनीतिक शक्ति में असमानता के कारण उनमें अल्पसंख्यकों के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का प्रश्न है, संविधान द्वारा घोषित नई सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों और समकालीन भारतीय समाज की वास्तविकताओं के मध्य जो खाई है, वह आज भी उतनी ही गहरी और चौड़ी है, जितनी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थी।' गांधीजी के इस संदेश को भूलते हुए आज राजनेता व राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति व अधिकारों को ही साध्य मान बैठे हैं। यही कारण है कि प्रायः राजनेता इस 'साध्य' का बँटवारा महिलाओं के साथ नहीं करना चाहते और इसी कारण जब कभी भी राजनीतिक शक्ति संरचना में महिलाओं को समान दर्जा देने की कोई चर्चा होती है, तो प्रायः तत्काल ही इस विचार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध शुरू हो जाता है। इसी कारण से यहाँ की महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया में एक समान सहयोगी की भूमिका निभाने में असफल रही हैं।

इस संदर्भ में महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का यह सुझाव अत्यन्त सार्थक व उपयोगी माना जा सकता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता व उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय शासन की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनको सहभागिता के विशेष और अति-आधिक अवसर दिये जाएँ। रिपोर्ट में सिफारिश की गयी कि ग्राम स्तर पर संवैधानिक पंचायतें स्थापित की जाएँ तथा नगरपालिका स्तर पर उनके लिए स्थान आरक्षित हों। इस सुझाव के अनुरूप, स्वतंत्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे सार्थक प्रयास, महिलाओं के लिए सबसे नीचे स्तर की प्रशासनिक इकाईयों-ग्राम पंचायत व नगरीय स्थानीय निकायों के 33 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित करना माना जा सकता है। क्रान्तिकारी कहा जा सकने वाला 73 व 74 वां संविधान संशोधन एक ऐसा सकारात्मक कदम है जो कि महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी में भी निश्चित रूप से वृद्धि कर रहा है। आज स्थानीय प्रशासन निकायों में प्रतीकात्मक रूप से अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर मात्र करने से प्रारम्भ हुई यह सहभागिता अब धीरे-धीरे परिपक्व होकर प्रत्यक्ष रूप लेने लगी है तथा अधिक सकारात्मक तथ्य यह है कि इस सक्रियता को विस्तृत सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता भी प्राप्त हो रही है।

राजनीतिक सहभागिता में बाधक तत्वः-स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की असमान राजनीतिक भागीदारी से प्रदर्शित होता है कि आज भी सभी समाजों में संरचनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक व सांस्कृतिक

बाधायें तथा महिलाओं हेतु पूर्वनिर्धारित लैंगिक भूमिकायें उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख रुकावट हैं। उन्हें नेतृत्व हेतु समान नहीं माना जाता। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं 'जीते जा सकने वाले' संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाते हैं। आज भी अधिकांश राजनीतिक दलों में महिला सहभागिता का प्रतीकात्मक महत्त्व ही अधिक है। सम्भवतः यही कारण है कि संसद व राज्य विधान सभाओं में महिला आरक्षण सम्बन्धी बिल अभी भी लम्बित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के पुरुष सदस्य यह समझने व स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं कि सदन का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं का हो। लम्बे समय से लगभग पुरुष एकाधिकार वाले इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी समझ से परे हैं जबकि वस्तुतः 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत के ही करने की बात है। ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त भागीदारी अब धीरे-धीरे प्रतीकात्मक से वास्तविक सहभागिता का रूप लेती जा रही है। स्थानीय प्रशासन में भागीदारी से इन महिलाओं में अब अधिकार चेतना व दायित्व बोध जाग्रत हो रहा है तथा इस विकेंद्रित लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुये ही, शायद अपने एकाधिकार में खलल पड़ने के डर से राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयोग को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

यह भी देखा जाता है कि बिना पारिवारिक व विशेष रूप से पति या पुरुष सदस्यों के सहयोग के महिलाओं के राजनीतिक जीवन में प्रवेश की सम्भावना लगभग शून्य होती है। राजनीति में उनका प्रवेश प्रायः पत्नी, बेटे या बहन के रूप में पारिवारिक विरासत को सम्भालने के लिये होता है। निचले स्तर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुये अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम हैं। साथ ही राजनीति का अपराधीकरण, अराजक तत्त्वों का राजनीति में बढ़ना व महत्त्व भी ऐसे कारक हैं जो महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता से रोकते हैं।

निष्कर्ष—निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उनके लिये बनायी जा रही है। यह तभी संभव है जबकि वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो जो नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार है। इसके लिये आवश्यक होगा कि निचले स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु किये गये प्रयोगों को विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया जाय।

राजनीति शक्तिसंरचना व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही महिलायें समानता के अपने अधिकार को प्राप्त करने के साथ-साथ सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ेगी।

संदर्भ स्रोतः—

1. सैयद अफजल पीरजादो (2010), महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन, पृ.291.
2. कुरुक्षेत्र, मई, 2012, पृ.20.
3. डॉ. एस. रोसा, के.डी. (2016), वीमेन इम्पावरमेंट एण्ड फ़ैमली सेटअप, पृ.10
4. लवलीन काकर (2015), स्वयं सहायता समूह एवं महिलाएँ, पृ.19.
5. महिला संबंधी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन, 2017.
